गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014.
शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड,
हजरतगंज, लखनऊ, पिन- 226001

ई-नीलामी-बिक्री सूचना
सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत
प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (अधिनियम के अनुसार इसके पश्चात 'प्रतिभूत लेनदार' संदर्भित) के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था।

प्रतिभूत आस्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से 12.01.2025 को 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' तथा 'जो कुछ भी है वहीं है' आधार पर की जायेगी। एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (अ)	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	ईएमडी जमा करने की तिथि (G)	संविदा वृद्धि (H)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, (K)
1	ऋण संख्या HL0063010000000504 8136 निरंजन गोंड (कर्जदार) प्रियंकादेवी (सह-कर्जदार)	सूचना दिनांकः 10-09-2025 कुल बकायाः रु. 925694/- (रुपये नौ लाख पच्चीस हजार छह सौ चौरानबे मात्र) 10-09-2025 को भुगतान होने तक 15.1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	प्लॉट नंबर 12 का पूरा हिस्सा, खसरा नंबर 46 का हिस्सा का मिनजुमला, गांव-मंगतैया परगना-निगोहा तहसील-मोहनलालगंज और जिला-लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल-1000 वर्ग फुट यानी 92.936 वर्ग मीटर, सीमाबद्धः - पूर्व- खसरा नंबर 46, पश्चिम - प्लॉट नंबर 01, उत्तर- खसरा नंबर 46, दक्षिण- सड़क 20 फीट चौड़ी।	रु. 700000/- (रुपये सात लाख मात्र)	रु. 70000/- (रुपये सत्तर हजार मात्र)	31-12-2025 को 5 बजे अप. तक	10,000/-	26-12-2025 (11 बजे पूर्वा. -4 बजे अप.)	12-01-2026 (11 बजे पूर्वा. -2 बजे अप.)	निल
2	ऋण क्रमांक HL0063010000000503 5466 सविता तिवारी (कर्जदार) अजय शंकर तिवारी (सह-कर्जदार)	सूचना दिनांकः 10-09-2025 कुल बकायाः रु. 897798/- (रुपये आठ लाख सत्तानबे हजार सात सौ अट्ठानबे मात्र) 10-09-2025 तक भुगतान होने तक 11.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	प्लॉट नंबर 7 का पूरा हिस्सा, खसरा नंबर 46 का हिस्सा, गांव-मंगतैया परगना-निगोहा, तहसील-मोहनलालगंज और जिला-लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल- 1000 वर्ग फुट यानी 92.936 वर्ग मीटर, सीमाबद्धः - पूर्व- आराजी दीगर, पश्चिम- आराजी दीगर, उत्तर- 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- प्लॉट विक्रेता	रु. 875000/- (रुपये आठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)	रु. 87500/- (रुपये सतासी हजार पांच सौ मात्र)	31-12-2025 को 5 बजे अप. तक	10,000/-	26-12-2025 (11 बजे पूर्वा. -4 बजे अप.)	12-01-2026 (11 बजे पूर्वा. -2 बजे अप.)	निल
3	ऋण संख्या HL00630100000005034610 रफीक अहमद (कर्जदार) बीबी जैनब (सह-कर्जदार)	सूचना दिनांकः 10-09-2025 कुल बकायाः रु. 1011386/- (रुपए दस लाख ग्यारह हजार तीन सौ छियासी मात्र) 10-09-2025 तक वसूली तक 14.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	प्लॉट मिनजुमला के सभी भाग, खसरा संख्या 46 का भाग, ग्राम-मंगतैया परगना-निगोहा तहसील-मोहनलालगंज और जिला-लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल-1000 वर्ग फुट यानी 92.936 वर्ग मीटर, सीमाबद्धः- पूर्व-आराजी दीगर, पश्चिम-20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर-20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-प्लॉट विक्रेता	रु. 875000/- (रुपये आठ लाख पिचहत्तर हजार मात्र)	रु. 87500/- (रुपये सतासी हजार पांच सौ मात्र)	31-12-2025 को 5 बजे अप. तक	10,000/-	26-12-2025 (11 बजे पूर्वा. -4 बजे अप.)	12-01-2026 (11 बजे पूर्वा. -2 बजे अप.)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता को ही करना होगा।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ई-मेल आईडी : Support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति : धरनी पी., ई-मेल आईडी : dharani.p@c1india.com, सम्पर्क नं. 9948182222 से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 31.12.2025 को या इससे पूर्व "गृहम हाउसिंग फाइनांस लि.", बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 091551000028 तथा आईएफएससी कोडः ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर - 411014 की खाता में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी पताः प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन- 226001, मोबाइल नं. +91 8281138143 ई-मेल आईडी : p.adith@grihumhousing.com पर भेजना होगा।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com तथा www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को 30 दिनों का नोटिस माना जाए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी अखबार के प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी अखबार की भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 12.12.2025, स्थानः उत्तर प्रदेश
ह./- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

शाखा : मल्कागंज, ए-11 कमला नगर मल्कागंज,
दिल्ली-110009 ईमेल : D0356@psb.bank.in

दिनांक : 10-12-2025

1. बालागी एंटरप्राइजेज स्वामिनी राधा राठौर (कर्जदार)
मकान नंबर 1/7421 गली नं. 2 शिवाजी पार्क एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली-110032
2. श्री जितेन्द्र सिंह राठौर पुत्र श्री भगत सिंह राठौर (गारंटर)
मकान नंबर 1/7421 गली नं. 2 शिवाजी पार्क एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली-110032

प्रिय महोदय/महोदया

विषय : शाखा कार्यालय मलकागंज, कमला नगर, नई दिल्ली-110009, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली-II के अंतर्गत मैसर्स बालागी एंटरप्राइजेज के खाता संख्या 03561600200099, 03561200000676 और 03561200000716 में आपको प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी अधिनियम") की धारा 13(8) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के अनुसार मोचन हेतु सूचना,

जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने 03-11-2021 को सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी की है, जो आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूत आस्ति में प्रतिभूति हित प्रवर्तन के उपाय के रूप में है।

तदुपरांत, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए, दिनांक 27-01-2022 को प्रतिभूत आस्ति अपने कब्जे में ले ली है।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कर्जदार एवं गारंटरों से बैंक के बकाया ऋणों की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूति आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय (जोकि 30 दिन है) के संबंध में है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के तहत आपका अधिकार, प्रतिभूति आस्तियों के पट्टा, समनुदेशन या सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक या निजी संधि से बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण हेतु कोटेशन या निविदा आमंत्रण हेतु सूचना के प्रकाशन की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई नीलामी तिथि और समय : 12-01-2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 01:00 बजे तक
निरीक्षण की तिथि : 02-01-2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 01:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 11-01-2026 अप. 11.59 बजे तक

कर्जदार एवं गारंटरों का नाम
कर्जदार : बालागी एंटरप्राइजेज स्वामिनी राधा राठौर
गारंटर : श्री जितेन्द्र सिंह राठौर पुत्र श्री भगत सिंह राठौर

मांग सूचना तिथि एवं राशि : मांग सूचना तिथि 03-11-2021 रु. 51,90,391.45 + 31-10-2021 से आगे ब्याज और लागत।

खाता विवरण : 1. 03561600200099 2.03561200000676 3. 03561200000716

10-12-2025 तक कुल बकाया राशि
1) रू. 47,70,286.81 + उस पर ब्याज
2) रू. 40,94,597.54 + उस पर ब्याज
3) रू. 2,15,319.12 + उस पर ब्याज
योग = रू. 90,80,203.47/-

सम्पत्तियों का विवरण	एमआरपी (लाख में)
संपत्ति संख्या 1/7421 का ऊपरी भूतल, गली नंबर 2 शिवाजी पार्क एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली-110032	41.70
संपत्ति संख्या 1/7421 गली नंबर 2 शिवाजी पार्क एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली-110032 का प्रथम तल	41.70
द्वितीय तल की छत निर्माण अधिकार के साथ, सम्पत्ति संख्या 1/7421, गली नंबर 2 शिवाजी पार्क एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली-110032	16.06

प्राधिकृत अधिकारी

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

4थी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

भौतिक कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002(2002 का 54) के अंतर्गत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 4थी मंजिल, टावर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला मुंबई 400070 पर है, के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली,2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 28-11-2024जारी कर ऋणधारको को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की नीचे उल्लिखित दिन, महीने और वर्ष को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली,2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर व्याज के लिए यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगोऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र सं	उधारकर्ता का विवरण	माँग सूचना माँग सूचना दिनांक	गिरवी रखी गई संपत्ति	भौतिक कब्जा की तारीख
1	1) मैसर्स भेरुनाथ आटा मिल 2) मनोहर लाल खटिक 3) चंदा ऋण खाता संख्याः UGUDISS0000062904	07-मार्च-2025, 05/03/2025 तक रू. 64,50,231/- (चौसठ लाख पचास हजार दो सौ इकतीस रुपये मात्र) के लिए	संपत्ति सं. 1: खसरा सं.-1026, ग्राम पंचायत-कोठारिया, पंचायत समिति- खमनोर, तहसील-नाथद्वारा, जिला- राजसमंद (राज.), में स्थित आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल लगभग 1350.00 वर्ग फुट. राजस्थान पिन कोड-313323; चौहद्दीः पूर्वः रास्ता, पश्चिमः बाईपास रोड, उत्तरः शिवदयाल का मकान, दक्षिणः कमरुद्दीन का मकान।	08/12/25

स्थानः उत्तर प्रदेश,
दिनांकः 12.12.2025
हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए

केआईएफ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका बीआरटीएस के पास,
इस्कॉन - अंबली रोड, अंब्ली, अहमदाबाद, गुजरात - 380054
कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 400063, महाराष्ट्र, भारत,
फोन नंबरः +91 22 61796400 ई-मेलः contact@kifshousing.com **वेबसाइटः** www.kifshousing.com
सीआईएन : U65922GJ2015PLC085079 **आरबीआई कोर** DOR-00145

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तारीखों पर बकाया राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। जैसा कि नीचे धारा के तहत उल्लिखित है, हमने पहले ही विस्तृत डिमांड नोटिस जारी कर दिया है। वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के 13(2) सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा आपके देय पावती के साथ, जो बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है/पावती प्राप्त नहीं हुई है। हमने धारा के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों पर कब्जा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो अधिनियम की धारा 13(4)। ऊपर बताए अनुसार आपके दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में, बैंक/सुरक्षित ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और कब्जा नोटिस नीलामी नोटिस प्रकाशित करते समय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, जैसा कि आवश्यक हो, कर सकता है। सरफेसी अधिनियम के तहत, बैंक/सुरक्षित ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकते हैं। विवरण यहां दिया गया हैः-

क्र. सं.	शाखा/आवेदन संख्या/एलआरएन	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटरओं का नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः
1	1 पानीपत 22123/ LNHEPNI 014972	1. सुनील दयानंद (आवेदक) 2. नीरज पवन कुमार (सह-आवेदक) एनपीएः 10 सितम्बर, 2025	मांग सूचना की तिथिः 03 दिसम्बर, 2025 ओ/एस रु. 676938/-	खेवट संख्या 160/2, मुरब्बा संख्या 20, 29, किला संख्या 18/2/2(2-4), 19 (8-0), 20/1 (7-0), 22/1(6-0), 3/2(2-5), किता- 5, रकबा (6/509) 25 कनाल 9 मरले, बकदार 6 मरले या लगभग 180 वर्ग गज में से आंशिक हिस्सा, वर्ष 2019-2020 की व्यापक जमाबंदी के अनुसार, बुतानी मोड़ के पास, हट, सफीदों, जिंद, हरियाणा 126112। विक्रय विलेख के अनुसारः- पूर्वः- 16 फीट चौड़ी गली (31.-0''), पश्चिमः- मुख्य सड़क (31'-0''), उत्तरः- धर्म सिंह मास्टर का घर (53'-0'), दक्षिणः- रमेश का घर (53'-0')। साइट के अनुसारः- पूर्व 1:- 16 फीट चौड़ी गली (31'-0''), पश्चिम 1:- 30 फीट चौड़ी सफीदों रोड (30'-0''), उत्तर 1:- धर्म सिंह मास्टर का घर (53'-0'), दक्षिण 1:- रमेश का घर (53'-0')

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) ऊपर उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए का भुगतान करें।

दिनांकः 12.12..2025 । स्थानः हरियाणा
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 शाखा कार्यालयः ईपीआईसीएच मॉल, दूसरी मंजिल, 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल), जिसका शाखा कार्यालय ईपीआईसीएच मॉल, दूसरी मंजिल, 68,68/1, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली -110015 में है, से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है, वे ईएमआई से माध्यम से ऋण सुविधा चुकाने और/या केएमबीएल को अपनी क्रेडिट सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्जदारों ने केएमबीएल को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और कर्जदारों द्वारा केएमबीएलए को तिथि पर बकाया और देय राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के साथ-साथ सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी केएमबीएल के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति ऋणदाता ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दर्शाए गए बकाया को चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत प्रतिभूति ऋणदाता को प्रदत्त शक्तियों में से किसी एक या अधिक का प्रयोग करेगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करें।

कर्जदार/गारंटर तथा बंधककर्ता का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1. श्री शरद गुप्ता (कर्जदार) पुत्र श्री सतीश गुप्ता बी - 351, पहली मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110025 इसके अलावा पताः सी -50, होजरी कॉम्प्लेक्स, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 2. श्री संगीत गुप्ता (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) पुत्र श्री सतीश गुप्ता बी - 351, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025 इसके अलावा पताः सी -50, होजरी कॉम्प्लेक्स, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301 **एनपीए की तिथिः 08.11.2025**	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः- पूरी पहली मंजिल आवासीय प्लॉट नंबर 351 पर निर्मित, ब्लॉक-बी में 501 वर्ग गज, बिना छत के अधिकार के, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110025 में स्थित है। श्री शरद गुप्ता के स्वामित्व में। सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः साइट के अनुसार, दक्षिणः साइट के अनुसार, पश्चिमः साइट के अनुसार, उत्तरः साइट के अनुसार पूरी दूसरी मंजिल आवासीय प्लॉट नंबर 351 पर निर्मित, ब्लॉक-बी में 501 वर्ग गज, बिना छत के अधिकार के, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110025 में स्थित है। श्री संगीत गुप्ता के स्वामित्व में। सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः साइट के अनुसार, दक्षिणः साइट के अनुसार, पश्चिमः साइट के अनुसार, उत्तरः साइट के अनुसार

ऋण खाता संख्या, मांग सूचना दिनांक और राशि : ऋण खाता सं. HF39708610 और HF39699470, मांग सूचना की तिथिः 21.11.2025, बकाया राशिः रु. 5,60,47,182.15/- (रुपये पांच करोड़ साठ लाख सैंतालीस हजार एक सौ बयासी और पंद्रह पैसे मात्र) (HF39708610 के लिए रु. 1,91,93,769.84/- (रुपये एक करोड़ इक्यानवे लाख तिरानवे हजार सात सौ उनहत्तर और चौरासी पैसे मात्र) और HF39699470 के लिए रु. 3,68,53,412.31/- (रुपये तीन करोड़ अड़सठ लाख तिरपन हजार चार सौ बारह और इकतीस पैसे मात्र) 17.11.2025 तक

तिथिः 12.12.2025, स्थान : नई दिल्ली
कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास,
अशोक वाटिका बीआरटीएस के पास, इस्कॉन - अम्बली रोड, अम्बली, अहमदाबाद, गुजरात - 380054
निगमित कार्यालयः सी-902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड, पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व),
मुंबई-400063, महाराष्ट्र, भारत, **दूरभाष संख्या** 91 22 61796400, **ईमेलः** contact@kifshousing.com **वेबसाइटः** www.kifshousing.com
सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079 **RBI COR:** DOR-00145

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं/गारंटरों द्वारा केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त किए गए ऋणों के संदर्भ में, जो कि निम्नांकित तिथियों पर निम्नांकित शेष बकाया के साथ एनपीए बन चुके हैं। हमने आपके लिए पावती के साथ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नांकितानुसार दिनांकित विस्तृत मांग सूचना पहले ही निर्गत कर दी है, जो कि अप्रदायकृत/पावती प्राप्त नहीं हुई के रूप में वापस लौट आई है। हमने उस स्थिति में जबकि आप 60 दिवसों के अंदर निम्नांकित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, आप में से एक व्यक्ति के स्वामित्वधारण वाली प्रतिभूतियों का अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आधिपत्य ग्रहण करने के अपने अभिप्राय के बारे में आपको संसूचित कर दिया है। यदि आप यहां इसमें उपरोक्त निर्धारितानुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा आधिपत्य सूचना नीलामी सूचना के प्रकाशन की समयावधि में, जैसा कि सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है, बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता आपके फोटोग्राफ को भी प्रकाशित कर सकते हैं। विवरण यहां नीचे दिए गए हैंः

क्र. सं.	शाखा/आवेदन सं./एलआरएन	आवेदक/सह-आवेदक/गारंटरों के नाम/एनपीए की तिथि	मांग सूचना तिथि बकाया राशि	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण
1.	गोरखपुर/ 21778/ LNHEGOR 014965	1. धमेंद्र प्रसाद (आवेदक) 2. लक्ष्मी देवी (सह-आवेदक 1) 3. राजकुमार भारती (सह-आवेदक 2) एनपीएः 10 अक्टूबर, 2025	मांग सूचना तिथि 03 दिसंबर, 2025 बकाया रु. 822873/-	मकान नंबर 409, आराजी नंबर 254, वार्ड नंबर 5, केशोपुर, वी के मैरिज हॉल के पास, तहसील रोड-सहजनवा, टप्पा और परगना-हसनपुर मगहर, तहसील- सहजनवा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273203, भारत। विक्रय पत्र के अनुसारः- पूर्वः- हम मुकीर की भूमि, पश्चिम- पवन कुमार प्रजापति का घर, उत्तर-हम मुकीर दंडता की भूमि, दक्षिण- 10 फीट चौड़ी सड़क। साइट के अनुसार- पूर्व1- हम मुकिर की जमीन, पश्चिम1- पवन कुमार प्रजापति का घर, उत्तर1- हम मुकिर दंडता की जमीन, दक्षिण1- 10 फीट चौड़ी सड़क
2.	गोरखपुर/ 9243/ LNHLGOR 011009	1. अमर नाथ त्रिपाठी (आवेदक) 2. निधि निधि (सह-आवेदक) एनपीएः 10 अक्टूबर, 2025	मांग सूचना तिथि 03 दिसम्बर 2025 बकाया रु . 827315/-	आराजी नंबर 31, मौजा- बरगदवा, टप्पा- कस्बा, परगना- हवेली, तहसील- सदर, बरगदवा के पास, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, 273001. बिक्रीनामा के अनुसार- पूर्व- माधुरी तिवारी की जमीन जिसकी आज रजिस्ट्री हुई है, पश्चिम- खरीदार की जमीन, उत्तर- 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- राधेश्याम गुप्ता की जमीन। साइट के अनुसार- पूर्व1- माधुरी तिवारी की जमीन जिसकी आज रजिस्ट्री हुई है, पश्चिम1- अमरनाथ तिवारी की जमीन, उत्तर1- 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण1- राधेश्याम गुप्ता की जमीन
3.	वाराणसी 24721/ एलएनएचएल वीआरएन 015463	1. हिमांशु सेठ (आवेदक) 2. सुषमा सोनी (सह-आवेदक) एनपीएः 10 नवंबर, 2025	मांग सूचना तिथि 03 दिसम्बर 2025 बकाया रु.1592396/-	आराजी नंबर 443 का हिस्सा, परगना शिवपुर, प्रभा कॉन्वेंट स्कूल, मौजा सलारपुर, आशापुर 3 किमी, तहसील- सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 221007, भारत। बिक्रीनामा के अनुसार- पूर्व- आलोक राय की जमीन, पश्चिम- 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- बाकी हिस्सा। साइट के अनुसार- पूर्व1- दूसरे की जमीन, पश्चिम1-15 फीट चौड़ी कच्ची सड़क, उत्तर1-15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण1- दूसरे की जमीन

ऊपर वर्णित ऋणकर्ताओं/गारंटरों को सलाह (1) दी जाती है कि वे अधिक एवं पूर्ण विवरणों के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से मूल सूचना प्राप्त करें तथा (2) सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत भावी कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त संदर्भित सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर ब्याज एवं लागतों इत्यादि के साथ शेष बकाया राशि का भुगतान करें।

दिनांकः 12.12.2025, स्थानः उत्तर प्रदेश
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केआईएफ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका बीआरटीएस के पास, इस्कॉन - अंबली रोड, अंब्ली, अहमदाबाद, गुजरात - 380054 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 400063, महाराष्ट्र, भारत,फोन नंबरः +91 22 61796400 ई-मेलः contact@kifshousing.com वेबसाइटः www.kifshousing.com सीआईएन : U65922GJ2015PLC085079 आरबीआई कोर DOR-00145

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तारीखों पर बकाया राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। जैसा कि नीचे धारा के तहत उल्लिखित है, हमने पहले ही विस्तृत डिमांड नोटिस जारी कर दिया है। वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के 13(2) सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा आपके देय पावती के साथ, जो बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है/पावती प्राप्त नहीं हुई है। हमने धारा के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों पर कब्जा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो अधिनियम की धारा 13(4)। ऊपर बताए अनुसार आपके दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में, बैंक/सुरक्षित ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और कब्जा नोटिस नीलामी नोटिस प्रकाशित करते समय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, जैसा कि आवश्यक हो, कर सकता है। सरफेसी अधिनियम के तहत, बैंक/सुरक्षित ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकते हैं। विवरण यहां दिया गया हैः-

क्रं. सं.	शाखा/आवेदन संख्या/एलआरएन	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटरओं का नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः
1	मेरठ/ 14044@LNHL M ER 012465	1. सचिन सचिन (आवेदक) 2. कांता कांता (सह-आवेदक) एनपीएः 10 नवंबर, 2025	मांग सूचना की तिथि : 03 दिसंबर, 2025 ओ/एस रु. 799571/-	प्लॉट नंबर 08, 09 और 10, खसरा नंबर 89, स्वर्ग आश्रम रोड, राजीव गांधी मेडिकल, गांव मुरादपुर, निजामसर, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 245101 सेल डीड के अनुसारः- पूर्वः - प्लॉट नंबर 11 और 12, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 7, उत्तररू- 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः- प्लॉट नंबर 11, 14, 15 और 16। साइट के अनुसारः- पूर्व1:- अजय का प्लॉट, पश्चिम1:- मनीष का प्लॉट, उत्तर1:- 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः- दीवान का प्लॉट
2	गाजियाबाद/ 3150/ LNHLGHAO 09014	1. मोहित कुमार (आवेदक) 2. पिंकी देवी (सह-आवेदक) एनपीएः 10 नवंबर, 2025	मांग सूचना की तिथिः 03 दिसम्बर, 2025 ओ/एस रु. 1030838/-	खसरा नंबर-1318 पर प्लॉट, गांव धूम मानिकपुर तहसील दादरी जी,बी,नगर, शिव मंदिर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 203207 सेल डीड के अनुसारः- पूर्वः- 18'-0'' चौड़ी सड़क, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 22 और 23, उत्तरः- प्लॉट नंबर 40 का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिणः- प्लॉट नंबर 37. साइट के अनुसारः- पूर्व1:- 18'-0'' चौड़ी सड़क, पश्चिम1:- प्लॉट नंबर 22 और 23, उत्तर1:- प्लॉट नंबर 40 का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिण1:- प्लॉट नंबर 37
3	आगरा/ 32837/ LNHLAGR 017720	1. नदीम खान (आवेदक) 2. सकीना निजामुद्दीन (सह-आवेदक) एनपीएः 10 अगस्त, 2025	मांग सूचना की तिथिः 03 दिसम्बर, 2025 ओ/एस रु. 683496/-	प्लॉट नंबर 33, खसरा नंबर 543, 544 और 557/2, होटल ए स्टार, नवीन नगर फेज, मौजा पथावली आगरा उत्तर प्रदेश 283105 में स्थित है। सेल डीड के अनुसारः- पूर्वः- 9 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम-प्लॉट नंबर 46, उत्तरः- दूसरे की जमीन, दक्षिणः- प्लॉट नंबर 34। साइटः- पूर्व1:- 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम1:- दूसरे का प्लॉट, उत्तर1:- दूसरे का प्लॉट, दक्षिण- ओमप्रकाश का मकान नंबर 34
4	आगरा/ 34953/ LNHEAGR 017757	1. नदीम खान (आवेदक) 2. सकीना निजामुद्दीन (सह-आवेदक) एनपीएः 10 जुलाई, 2025	मांग सूचना की तिथिः 03 दिसम्बर, 2025 ओ/एस रु. 1628861/-	प्लॉट नंबर 33, खसरा नंबर 543, 544 और 557/2, होटल ए स्टार, नवीन नगर फेज, मौजा पथोली आगरा उत्तर प्रदेश 283105 में स्थित है। सेल डीड के अनुसारः- पूर्वः- 9 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 46, उत्तरः- दूसरे की जमीन, दक्षिणः- प्लॉट नंबर 34 साइटः- पूर्व1:- 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम1:- दूसरे का प्लॉट, उत्तर1:- दूसरे का प्लॉट, दक्षिणः- ओमप्रकाश का मकान नंबर 34
5	अलीगढ/ 32888/ LNHLALG 017809	1. सतेंद्र पाल (आवेदक) 2. शीतल चंद्रपाल (सह-आवेदक) एनपीएः 10 नवंबर, 2025	मांग सूचना की तिथिः 03 दिसम्बर, 2025 ओ/एस रु. 1098573/-	खेत नंबर-237 डप, यशोमती हॉस्पिटल के पास, देवसैनी, परगना-कोल, देवसैनी, तहसील- कोल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202001 सेल डीड के अनुसारः- पूर्वः- 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- लाडवती का प्लॉट, उत्तरः- विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः- रामखिलाड़ी का प्लॉट। साइट के अनुसारः- पूर्व1:- 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम1:- दूसरे का प्लॉट, उत्तर1:- पांडे का प्लॉट, दक्षिण- दूसरे का प्लॉट

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) ऊपर उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए का भुगतान करें।

दिनांकः 12.12..2025 ।
स्थानः दिल्ली एनसीआर
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office at 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai – 600015. E-mail : auction@hindujahousingfinance.com

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें]

संपर्क नं. प्रेमलता 82871 20978 तथा अरुण मोहन शर्मा - 8800898999

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में और एक **शाखा कार्यालय** : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः **www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 23.12.2025, ईएमडी की अंतिम तिथि : 24-दिस.-25, ई-नीलामी की तिथि : 25-दिस.-25, बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/0

1. लैन/कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम: DL/DEL/LXND/A000000372 तथा CO/CPC/CPOF/A000001506 श्री नितेन्द्र कुमार, 2. श्रीमती सुमन सुमन
मांग सूचना की तिथि तथा राशि : 21 अप्रैल, 25 रु. 16,98,049 तिथि 21 अप्रैल, 2025 तक
कुल बकाया राशि रु. 18,55,519/-
आरक्षित मूल्य रु. 29,74,917/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,07,492/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 25 नवंबर, 2025 भौतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर-एसएफ-02, प्लॉट नंबर 102 और 102ए पर निर्मित, क्षेत्रफल 115 वर्ग गज, खसरा नंबर-1487 से बाहर, [illegible], गांव रईसपुर, परगना डासना, तहसील और जिला में स्थित है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-पूर्व-अन्य का प्लॉट, पश्चिम-मीना का प्लॉट, उत्तर-अन्य का प्लॉट, दक्षिणः सड़क 20 फीट चौड़ी

2. DL/DEL/LXND/A000001555 1. श्री पवन कुमार, 2. श्रीमती नीतू कुमारी
मांग सूचना की तिथि तथा राशि : 16 जुलाई, 2025 रु. 15,05,513 तिथि 16 जुलाई, 2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 17,72,207/-
आरक्षित मूल्य रु. 15,25,500/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,52,550/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 12 नवंबर, 2025 तथा भौतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्लैट नं. जी-2, भूतल पर 450 वर्ग फीट, छत के अधिकार के बिना एलआईजी, प्लॉट नं. ए-1/75 पर निर्मित, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन पर स्थित, गांव ब्राह्मणपुर उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-के क्षेत्र में, सीमाएं : पूर्वः अन्य सुविधाएं/सामान्य मार्ग पश्चिमः प्लॉट नं. ए-7/74. उत्तरः अन्य इकाई, दक्षिणः अन्य संपत्ति

3. DL/NCU/GHAU/A000002313 1. श्री ज्ञानेश कुमार, 2. श्रीमती तेजस्वनी श्रीवास्तव
राशि : 11 अक्टूबर, 2025 रु. 30,98,464/- तिथि 11 अक्टूबर, 2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 31,82,544/-
आरक्षित मूल्य रु. 25,22,788/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,52,279/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 26 नवंबर, 2025 तथा भौतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय एमआईजी फ्लैट नंबर-03, ग्राउंड फ्लोर (बैक साइड) पर बिना छत के अधिकार के, कवर एरिया 48 वर्ग मीटर. इंदिरापुरम आवासीय कॉलोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में न्याय खंड-I में स्थित प्लॉट संख्या-एनकेपी-121 पर निर्मित। पूर्व-अन्य संपत्ति पश्चिम-फ्लैट/9 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर-अन्य इकाई, दक्षिण में खाली प्लॉट।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 07 जनवरी, 2026, ईएमडी की अंतिम तिथि : 08 जनवरी, 2026, ई-नीलामी की तिथि : 09 जनवरी, 2026, बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/0

4. लैन/कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम: DL/NCU/GHAU/A000001337 1. श्री प्रिंस, 2. श्रीमती लता देवी
मांग सूचना की तिथि तथा राशि : 16.05.2022 रु. 16,23,114/- तिथि 16.05.2022 तक
कुल बकाया राशि रु. 12,34,027/-
आरक्षित मूल्य रु. 31,38,750/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3,13,875/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 17.10.2022 सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यानी 83.61 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 89 मिन में से, सिहानी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद के गांव आदर्श नगर में स्थित। (इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है)। पूर्वः सक्सेना की संपत्ति, पश्चिमः पूनम अग्रवाल की संपत्ति, उत्तर : रोड 18 फीट चौड़ी, दक्षिण-सुरेन्द्र कुमार की संपत्ति

5. DL/MNR/NANR/A000000014. 1. श्री श्याम लाल, 2. श्री सोनू सोनू तथा 3. श्रीमती मधु मधु
राशि : 03.09.2024 रु. 7,68,396/-तिथि 03.09.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 7,29,584/-
आरक्षित मूल्य रु. 13,23,581/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,32,358/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 29.04.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः 60.27 वर्ग गज (50.39 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाला फ्रीहोल्ड आवासीय घर, एवं कवर्ड एरिया 35 वर्ग मीटर, गांव मकनपुर परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद गाजियाबाद (यूपी) में स्थित, इसके बाद 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा। पूर्वः 10 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः ब्रह्मदत्त त्यागी का खेत, उत्तरः सोहनपाल का प्लॉट, दक्षिणः सतपाल का प्लॉट

6. DL/KRB/KRBH/A000000883. 1. श्री कुलदीप सिंह, 2. श्रीमती सरिता सरिता
राशि : 27.11.2024 रु. 20,20,969/- तिथि 27.11.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 23,05,767/-
आरक्षित मूल्य रु. 22,51,530/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,25,153/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 16.10.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नं. तीसरी मंजिल पर टी.एफ.-2, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 538 वर्ग फुट, या कहें 50 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 159 पर निर्मित, खसरा नं. 588 के संबंध में, 'अवंतिका होम्स' [illegible] गार्डन, ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद यूपी. में स्थित, पूर्वः गली, पश्चिमः सामने की ओर आरएचएस फ्लैट/सड़क 23 फीट, उत्तरः पीछे की ओर एलएचएस फ्लैट/अन्य संपत्ति, दक्षिणः अन्य प्लॉट

7. DL/JNK/JNKP/A000000829 तथा CO/CPC/CPOF/A000003703 1. श्री रविन्दर सैनी, 2. श्रीमती रज्जावती लज्जावती तथा 3. श्रीमती नन्दिनी सैनी
मांग सूचना की तिथि तथा राशि : 14.11.2024 रु. 20,93,208/-तिथि 14.11.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 20,18,846/-
आरक्षित मूल्य रु. 24,76,436/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,47,644/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 26.05.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः एक फ्लैट नंबर एफ-3, प्लॉट नंबर पीएच/08 पर निर्मित, प्लॉट का क्षेत्रफल 215.015 वर्ग मीटर, आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ गाजियाबाद में स्थित, तहसील और जिला: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -पूर्वः प्लॉट नंबर पीएच 1/3 पश्चिमः सड़क 18 मीटर चौड़ी, उत्तरः प्लॉट नं. पीएच. 1/9. दक्षिणः प्लॉट नं. पीएच.-1/7

8. GZ/CHP/CHPL/A000000059 1. सुश्री सीमा सीमा, 2. श्री प्रमोद कुमार
राशि : 25.11.2024 रु. 9,89,270/- तिथि 25.11.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 9,67,733/-
आरक्षित मूल्य रु. 21,97,935/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,19,794/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 17.05.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः आवासीय दो मंजिला मकान नंबर डी-242, छत के अधिकार के साथ, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज यानी 50.166 वर्ग मीटर, राजीव कॉलोनी, ग्राम करहेड़ा, परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद, यूपी में स्थित, पूर्वः अनिल का घर, पश्चिमः अमित का घर, उत्तरः सड़क 8 फीट, चौड़ी दक्षिणः सड़क 14 फीट चौड़ी

9. DL/NCU/GHAU/A000002105 1. श्री राजकुमार कुमार, 2. श्री अमन अमन
राशि : 07.01.2025 रु. 14,34,484/- तिथि 07.01.2025 तक
कुल बकाया राशि रु. 14,19,830/-
आरक्षित मूल्य रु. 18,29,588/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,82,959/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 23.06.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः ऊपरी भूतल पर फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नंबर यूजीएफ-01 जिसका क्षेत्रफल 65 वर्ग गज है, खसरा नंबर 224 के अंतर्गत आने वाले प्लॉट नंबर बी-70 पर निर्मित, जो रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सादुल्लाहाबाद परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित है - पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः फ्लैट नंबर यूजीएफ -2, उत्तरः भवन का प्रवेश द्वार/30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्रवेश/फ्लैट नंबर यूजीएफ -4

10. UP/NCU/GHAU/A000000001 तथा DL/NCU/GHAU/A000001315 1. श्री संजीव कुमार सिन्हा, 2. श्रीमती सुनीता सिन्हा
रु. 20,36,419/- तिथि 27.09.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 18,21,706/-
आरक्षित मूल्य रु. 21,16,125/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,11,613/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 28.01.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः खाली आवासीय प्लॉट, खसरा नं. 289/2-डी-मिन, सैन विहार में स्थित, राजस्व संपदा ग्राम कुंडाहेड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग गज-पूर्व : रास्ता 14 फीट, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : रास्ता 13 फीट

11. DL/NCU/NOIU/A000000696 तथा CO/CPC/CPOF/A000001689 1. श्री सुनील कुमार, 2. श्री गगन दीप गगन दीप तथा 3. श्री अनिल छाबड़ा
मांग सूचना की तिथि तथा राशि : 24.08.2024 रु. 25,13,826/- तिथि 24.08.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 27,72,192/-
आरक्षित मूल्य रु. 31,72,405/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3,17,240/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 12.07.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर 5-2, छत के अधिकार के बिना दूसरी मंजिल, क्षेत्रफल 92.90 वर्ग मीटर आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 472 पर निर्मित, 1, हदबस्त गांव पसौंडा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, यूपी में स्थित-पूर्वः 10 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः 10 फीट चौड़ी सर्विस लेन, उत्तरः 40 फीट चौड़ी रोड, दक्षिणः प्लॉट नंबर 471

12. GZ/GNR/GNRN/A000000386 1. सुश्री क्षमा गोस्वामी, 2. श्री सुमित गोस्वामी
राशि : 25.11.2024 रु. 10,33,824/- तिथि 25.11.2024 तक
कुल बकाया राशि रु. 10,07,024/-
आरक्षित मूल्य रु. 19,01,050/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,90,105/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 29.05.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः आवासीय फ्लैट नंबर बी-371, ग्राउंड फ्लोर, बैक साइड आरएचएस, बिना छत के अधिकार, ईडब्ल्यूएस, ट्रिपल स्टोरी, क्षेत्रफल 35.786 वर्ग मीटर, सेक्टर 04, टी.एच.ए. आवासीय कॉलोनी लाजपत नगर, गाजियाबाद, तहसील ए जिला गाजियाबाद, यूपी में स्थित है। पूर्वः अन्य फ्लैट नं. बी-370 ए रोड 15 फीट चौड़ी, पश्चिमः सड़क 15 फीट, एक फ्लैट एंट्री मुख्य, उत्तरः अन्य फ्लैट नंबर बी-372 ए 369 ए फ्लैट अन्य ए रोड 15 फीट एंट्री, दक्षिणः अन्य संपत्ति नंबर बी-362 ए रोड 60 फीट चौड़ी।

13. DL/NCU/NOIU/A000000723 तथा CO/CPC/CPOF/A000003731 1. श्री मोहम्मद नूरआलम कुरैशी, 2. श्रीमती शबनम कुरैशी
मांग सूचना की तिथि तथा राशि : 15.01.2025 रु. 32,33,620/-तिथि 15.01.2025 तक
कुल बकाया राशि रु. 33,55,098/-
आरक्षित मूल्य रु. 48,82,234/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 4,88,223/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 17.05.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 12ए/5, क्षेत्रफल 103.81 वर्ग गज, खसरा नंबर 621/2, [illegible], ग्राम कैला, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी के क्षेत्र में स्थित-पूर्व-सड़क 10 फीट चौड़ी, पश्चिम-सड़क 15 फीट चौड़ी, उत्तरः संपत्ति संख्या 12ए, दक्षिणः संपत्ति संख्या 12ए/4.

14. DL/GRN/SNPR/A000000322 1. श्री विजय विक्रम सिंह, 2. श्रीमती सपना सिंह
राशि : 07.01.2025 रु. 16,41,355/- तिथि 07.01.2025 तक
कुल बकाया राशि रु. 16,24,203/-
आरक्षित मूल्य रु. 18,15,413/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,81,541/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 24.06.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्लैट नं. यूजीएफ-03, ऊपरी भूतल पर, पीछे की ओर, क्षेत्रफल 495 वर्ग फुट यानी 45.99 वर्ग मीटर, आवासीय भूखंड संख्या 122 पर निर्मित, क्षेत्रफल 243 वर्ग गज अर्थात 203.17 वर्ग मीटर, खसरा नं. 280, आवासीय कॉलोनी आकाश विहार (आकाशवाणी) में ग्राम सादुल्लाबाद, परगना और लोनी तहसील, जिला गाजियाबाद, यूपी की राजस्व संपत्ति में स्थित - पूर्वः फ्लैट नंबर यूजीएफ-2/रोड, पश्चिमः कृषि भूमि, उत्तरः प्लॉट नंबर 121, दक्षिणः फ्लैट नंबर यूजीएफ-4/प्लॉट नंबर 123

15. DL/NCU/GHAU/A000001793 1. श्री आशीष कुमार, 2. श्रीमती रोशन देवी
राशि : 07.01.2025 रु. 11,03,595/- तिथि 07.01.2025 तक
कुल बकाया राशि रु. 11,17,281/-
आरक्षित मूल्य रु. 37,63,035/-
जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3,76,304/-
कब्जे की तिथि तथा प्रकार : 20.05.2025 तथा सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय खाली प्लॉट, क्षेत्रफल 95.29 वर्ग गज। (79.67 वर्ग मीटर) खसरा संख्या 807/1 के अंतर्गत, ग्राम सिहानी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित, इसके बाद 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा। पूर्वः ओमपाल का प्लॉट, पश्चिमः शिव कुमार का प्लॉट, उत्तरः दीपक का प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क

भुगतान का तरीकाः- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में गाजियाबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: -

1. संपत्ति **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है'** और **'आश्रय रहित'** आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल **auction@hindujahousingfinance.com** और **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः **delhi@c1india.com**, सहायता मोबाइल नंबरः-7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://www.bankeauctions.com/** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप **https://www.bankeauctions.com/** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके कार्यालय एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019 में जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर 'ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में' लिखा होना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए अपने मेल आईडी पर प्राधिकृत अधिकारी और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करनी होगी। 14. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, श्री अरुण मोहन शर्मा, मोबाइल नंबर 8800898999, प्रेमलता 8287120978 से हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ -8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, गाजियाबाद के शाखा कार्यालय में - 201019 पर संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस भी है।

स्थान : गाजियाबाद, दिनांकः 12.12.2025
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.